

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. 8103-255-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३२ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ (क्रमांक २१ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं तथा उनकी संघटक संस्थाएं.”

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ढ) “व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई विभाग या कोई संस्था चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो और जो राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है या उसकी कोई संघटक इकाई है अथवा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय समझा गया हो;”

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (९) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(९)(क) समिति, सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की, उसके द्वारा इसके अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश देने अथवा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित किए गए शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने अथवा कैपीटेशन फीस प्राप्त करने अथवा मुनाफाखोरी करने के सम्बन्ध में, कोई शिकायत प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगी.

(ख) समिति, खण्ड (क) के अधीन जांच किए जाने के प्रयोजन से संस्था का निरीक्षण करवा सकेगी:

परन्तु समिति, राज्य सरकार या संबंधित विश्वविद्यालय या समुचित प्राधिकारी के आदेश पर, संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई किसी निरीक्षण रिपोर्ट का संज्ञान ले सकेगी.

(ग) यदि जांच के परिणामस्वरूप समिति यह पाती है कि ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश अथवा फीस के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी संस्था के विरुद्ध निम्न में से एक या अधिक कार्रवाइयां कर सकेगी :—

(एक) संस्था पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना उस पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अधिरोपित कर सकेगी जो इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो;

(दो) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दिए गए किसी प्रवेश को अवैध घोषित कर सकेगी, जिस पर संस्था ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश तुरन्त निरस्त कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्र का नामांकन निरस्त कर देगा और किसी ऐसी परीक्षा के उसके परिणाम को निरस्त कर देगा जिसमें कि अभ्यर्थी पूर्व में ही सम्मिलित हो चुका है;

(तीन) संस्था को, किसी छात्र को, ऐसे समय के भीतर, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक प्राप्त की गई कोई राशि अथवा कैपिटेशन फीस के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि या मुनाफे के लिये प्राप्त की गई कोई राशि वापस करने का आदेश दे सकेगी :

परन्तु यदि संस्था छात्र को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर राशि वापस करने में असफल रहती है तो वह, उस पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने योग्य होगी और छात्र को संदत्त की जाएगी.

(चार) संस्था को, ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने का आदेश दे सकेगी;

(पांच) विश्वविद्यालय अथवा संबंधित समुचित प्राधिकारी से संस्था की मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी;

(छह) ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे.

५. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १० का संशोधन.

“१०. (१) राज्य सरकार, एक बार में तीन से अनधिक वर्ष के लिये, एक अपील प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या जो राज्य के मुख्य सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का पद धारण कर चुका हो, जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा कोई व्यावसायिक संस्था, ऐसा आदेश पारित किए जाने से ३० दिन की कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगी. अपील.

(२) किसी अपील की सुनवाई के दौरान अपील प्राधिकारी, समिति से अभिलेख मंगाने के पश्चात् तथा अपीलार्थी एवं समिति दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील में किया गया विनिश्चय अंतिम होगा.”

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2013

क्र. 8104-255-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 32 OF 2013

THE MADHYA PRADESH NIJI VYAVSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013

[Received the assent of the Governor of the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th September, 2013.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act), for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(b) the private unaided professional educational institutions affiliated to an university established under the Central Act or incorporated by an Act of State Legislature and their constituent institutions.”.

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:—

“(n) “Professional educational institution” means a college or a school or a department or an institution by whatever name called, imparting professional education approved or recognized by an appropriate authority and which is affiliated to or is a constituent unit of an University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a deemed to be university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).”.

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(9) (a) The Committee either on receipt of a complaint or suo motu may enquire into admission made in contravention of the provisions contained hereunder or collection of fee in excess of the fee determined under the provisions of the Act, or realization of capitation fee or profiteering by any private unaided professional educational institution.

(b) The Committee may cause an inspection of the institution for the purpose of making enquiry under clause (a):

Provided that the Committee may take cognizance of any inspection report prepared by the concerned department at the behest of the State Government or the concerned University or the appropriate authority.

- (c) If as a result of the enquiry the Committee finds that there has been any violation by such institution of the provisions of the Act or rules and regulations made thereunder regarding admission or fees, it may take one or more of the following actions against such institution :—
- (i) impose a fine up to ten lac rupees on the institution together with interest thereon at the rate of 12 percent per annum which may be recovered as if an arrear of land revenue;
- (ii) declare any admission made in contravention of the provisions of the Act invalid; whereupon the institution shall forthwith cancel the admission of such candidate and the concerned university shall cancel the enrolment of such student and cancel his results of any examination in which the candidate has already appeared;
- (iii) order the institution to refund to a student within such time as specified in the order, any amount received by it in excess of the fees fixed by the Committee or any amount received by way of capitation fee or any amount received for profiteering :

Provided that if the institution fails to refund the amount within the specified time to the student, the same shall be recoverable along with interest thereon at the rate of 12 percent per annum as an arrear of land revenue and paid to the student;

- (iv) order the institution to stop admission or reduce the sanctioned intake in any professional course for such period as it may deem fit;
- (v) recommend to the university or the appropriate authority to withdraw the recognition of the institution;
- (vi) any other course of action, as it deems fit.”.

5. For section 10 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Amendment of section 10.

- “10. (1) The State Government shall appoint for not more than three years at a time, an appellate authority, consisting of a person, who has been a judge of the High Court, or a person who has held office not below the rank of the Chief Secretary of a State, before which a person or a professional institution aggrieved by an order of the Committee may file an appeal, within a period of 30 days of passing of such an order.
- (2) While hearing an appeal the Appellate Authority after calling for the records from the Committee and after giving an opportunity of hearing to both the appellant and the Committee shall decide the appeal and the decision made in the appeal shall be final.”.

Appeal.